रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शनिवार, 20 जुलाई, 1974

आषाढ़ 29, 1896 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2343/17-वि-1--65-1974

लखनऊ, 20 जुलाई, 1974

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1974 पर दिनांक 18 जुलाई, 1974 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1974 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1974

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1974)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1972 की धारा 3 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में,--

(1) खण्ड (ग) में उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :--

"प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड की किसी बात से यह न समझा जायगा कि इससे जिला मजिस्ट्रेट को धारा 33 के अधीन परिवाद करने, या उसे करने के लिये प्राधिकृत करने की अपनी शक्ति को प्रतिनिहित करने की शक्ति प्राप्त है;"

(2) खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(ङ) 'नियत प्राधिकारी' का तात्पर्य किसी ऐसे अधिकारी से है जिसे मुंसिफ या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट अथवा कार्यपालिका मजिस्ट्रेट के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो और जो इस अधिनियम के अधीन नियत प्राधिकारी के सभी या किन्हीं शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग, सम्पादन तथा पालन करने के लिये राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत हो, और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों अथवा मामलों या मामलों के वर्गों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न अधिकारियों को इस प्रकार प्राधिकृत किया जा सकता है।"

संक्रमणकालीन उपबन्ध

3—इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम का संशोधन होते हुए भी—

(क) प्रत्येक ऐसा मामला जो 1 अप्रैल, 1974 के पूर्व किसी समय मूल अधिनियम (जैसा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व था) में यथा परिभाषित नियत प्राधिकारी के समक्ष संस्थित अथवा उसे अन्तरित हो या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे प्राधिकारी के पास से वापस मंगाया गया हो, और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय ऐसे प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष विचाराधीन हो, तो यथास्थिति, ऐसे प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सुना जायगा और उस पर निर्णय दिया जायगा,

(ख) प्रत्येक ऐसा मामला जो 1 अप्रैल, 1974 से पूर्व या उसके पश्चात् मूल अधिनियम (जैसा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व था) में यथा परिभाषित नियत प्राधिकारी के समक्ष संस्थित अथवा उसे अन्तरित किया गया हो या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे प्राधिकारी के पास से वापस मंगाया गया हो और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व ऐसे प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णीत किया गया हो, ऐसे प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विधि मान्यतः ग्रहण किया गया या वापस मंगाया गया और उस पर कार्यवाही की गयी समझी जायगी मानों ऐसे प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट को ऐसा करने की अधिकारिता थी,

(ग) प्रत्येक ऐसा मामला जो 1 अप्रैल, 1974 को या उसके पश्चात् किसी मुंसिफ या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष संस्थित या उसे अंतरित किया गया हो—

(1) और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व उसके द्वारा निर्णीत किया गया हो, विधि मान्यतः उसे अन्तरित किया गया समझा जायगा और उसके द्वारा इस प्रकार कार्यवाही की गयी समझी जायगी मानो वह नियत प्राधिकारी के रूप में यथाविधि नियुक्त किया गया था।

(2) और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर उसके समक्ष विचाराधीन हो, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा 3 के खंड (ङ) के अधीन नियुक्त नियत प्राधिकारी को अन्तरित हो जायगा और ऐसा नियत प्राधिकारी उस प्रक्रम से, जहां कि उसे इस प्रकार अंतरित किया गया था, आगे की कार्यवाही करेगा।

No. 2343(2)/XVII-V-1—65-1974

Dated Lucknow, July 20, 1974

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Shahari Bhawan (Kiraye Par Dene, Kiraye Tatha Bedakhali Ka Viniyaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1974 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 19 of 1974) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 18, 1974:

THE UTTAR PRADESH URBAN BUILDINGS (REGULATION OF LETTING, RENT AND EVICTION) (AMENDMENT) ACT, 1974

(U. P. Act No. 19 of 1974)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Urban Buildings (Regulation of Letting, Rent and Eviction) Act, 1972.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Buildings (Regulation of Letting, Rent and Eviction) (Amendment) Act, 1974.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the *Gazette* appoint.

Amendment of section 3 of U. P. Act XIII of 1972.

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Urban Buildings (Regulation of Letting, Rent and Eviction) Act, 1972, hereinafter referred to as the principal Act—

(i) in clause (*c*), *for* the proviso thereto, the following proviso shall be *substituted*, namely :—

"Provided that nothing in this clause shall be construed to empower the District Magistrate to delegate his power to make or authorise the making of a complaint under section 33;" ;

(ii) *for* clause (*e*), the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(*e*) 'prescribed authority' means an officer having not less than three years experience as Munsif or as Magistrate of the first class or as Executive Magistrate authorised by general or special order of the State Government to exercise, perform and discharge all or any of the powers, functions and duties of the prescribed authority under this Act, and different officers may be so authorised in respect of different areas or cases, or classes of cases;".

Transitory provision.

3. Notwithstanding the amendment of the principal Act by this Act—

(*a*) every case instituted before or transferred to the prescribed authority as defined in the Principal Act (as it stood before the commencement of this Act) or recalled from such authority by the District Magistrate at any time before April 1, 1974 and pending at the commencement of this Act before such authority or District Magistrate shall continue to be heard and decided by such authority or District Magistrate, as the case may be ;

(*b*) every case instituted before or transferred to the prescribed authority as defined in the Principal Act (as it stood before the commencement of this Act) or recalled from such authority by the District Magistrate at any time before or after April 1, 1974 and decided by such authority or District Magistrate before the commencement of this Act shall be deemed to have been validly entertained or recalled and dealt by such authority or District Magistrate as if such authority or District Magistrate had jurisdiction to do so ;

(*c*) every case instituted before or transferred to a Munsif or a Magistrate of the first class on or after April 1, 1974—

(*i*) and decided by him before the commencement of this Act shall be deemed to have been validly transferred to and dealt by him as if he was duly appointed as prescribed authority ;

(*ii*) and pending before him at the commencement of this Act shall stand transferred to a prescribed authority appointed under clause (*e*) of section 3 of the Principal Act as amended by this Act, and such prescribed authority shall proceed from the stage at which it is so transferred.

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र सक्सेना,
संयुक्त सचिव ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 165 राजपत्र (हिन्दी)—1003—1974—2,118 + 600—(मे०) ।